सार-समाचार

खेतों में आग लगने का सिलसिला जारी

छबड़ा (निसं)। ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने का सिलसिला लगातार जारी हैं। दिन व रात में दमकले दौड़ रही हैं। बुधवार को अलग-अलग स्थानों पर लगी आग की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने समय रहते बढ़ती आग पर काबू पाया और समीप के मकानो व 30-40 बीघा के लहसुन को सुरक्षित बचाया। दमकल प्रभारी रवि यादव ने बताया कि कुंभराज-निपानिया रोड पर विद्युत स्पार्किंग से गेहूं के खेतों में आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच दमकल ने आग पर काबू पाते हुए मकानों को आग की चपेट में आने से बचाया गया। इसी प्रकार रवि शर्मा से मिली सूचना मिलने पर खेड़ला, बावडीखेडा एवं खोपर गांव के माल में पहुंची फायरब्रिगेड ने यहां 150 बीघा की नोलाइयो में लगी आग पर काबू पाया एवं 150 बीघा की नोला यो व समीप में लगभग 30-40 बीघा के लहसुन के ढेरो को जलने से बचाया। वही, मंगलवार को किशोरपुरा गांव के किसान मोहनलाल, हरगोविंद, एवं रामचरण के खेत की नोलाइयो में लगी आग पर काबू पाते हुए समीप के मकानों व भूस के ढेरो को बचाया। कोटड़ी गांव के किसान तोलाराम नागर, रामरतन नागर एवं हरीश नागर के खेत की नोलाइयो में लगी आग पर काबू किया। टीम में सत्यप्रकाश मेघवाल, गिरिराज नागर, चालक बिट्टू शामिल रहे।

दोषी को तीन साल की सजा सुनाई

कोटा, (निसं)। घर में घुसकर दुष्कर्म के प्रयास के करीब साढ़े सात साल से अधिक पुराने मामले में एससी/एसटी न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण प्रकरण न्यायालय के न्यायाधीश ने मामले में सुनवाई करते हुए पकड़े गये आरोपी जाकिर हुसैन उर्फ सद्दाम को दोषी मानते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई साथ ही 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया। विशिष्ट लोक अभियोजक रितेश मेवाड़ा ने बताया कि पीड़िता ने 2 मई 2017 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि 29 अप्रेल 2017 को जब घर के सभी सदस्य बाहर गये हुए थे और घर में वह और उसकी मौसी की लड़की मौजूद थी। रात्रि के समय जाकिर हुसैन घर में दरवाजा तोड़ता हुआ घुसा और उससे दुष्कर्म का प्रयास किया। इस्तगासे के आधार पर शहर के एक थाने में पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले में अनुसंधान करते हुए जाकिर हुसैन को पकड़ा पुलिस ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। मामले में 13 गवाहों के बयान दर्ज किये गये।

गर्मी को देखते हुए नरेगा श्रमिकों के समय में परिवर्तन

कोटा, (निसं)। जिला कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी के निर्देशानुसार गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजपाल सिंह ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशानुसार गर्मी के मौसम को देखते हुए महात्मा गांधी नरेगा के समय में परिवर्तन किया गया है। श्रमिक अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत प्रातः 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक कार्य करेगें। इसमंअ विश्रामकाल को भी शामिल किया गया है। उन्होनें बताया कि यह समय 15 जुलाई या मानसून आने तक प्रभावी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण करने की स्थिति में मेट के पास मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में माप दर्ज करवाकर एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के पश्चात् अनुमती लेकर कार्य स्थल छोड़ सकेगें। सीईओ राजपाल सिंह ने बताया कि इस सम्बन्ध में सभी खण्ड विकास अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

आज जलापूर्ति बाधित रहेगी

रामगंजमंडी, (निसं)। रामगंजमण्डी परियोजना के राणाप्रताप सागर बांध स्थित जल स्त्रोत आम्बाकुई इन्टेक वेल से एकलिंगपुरा फ़िल्टर प्लांट आ रही 500 एमएम डीआई व एमएस पाईप लाईन आम्बा कुई के पास बार-बार आ रहे विद्युत व्यवधान व ट्रिपिंग के कारण दो स्थानों पर लीकेज हो गई है, जिसमे अत्यधिक पानी का रिसाव हो रहा है। उक्त पाईप लाईन को बंद कर रिपेयर करना अति-आवश्यक है। उक्त जानकारी देते हुए बलभद्र शर्मा सहायक अभियंता (ग्रामीण) पीएचईडी रामगंजमण्डी ने बताया कि इस कार्य करने हेतु पाईप लाइन का 10 अप्रेल गुरुवार को शट-डाउन लिया जाएगा। जिस कारण 10 अप्रेल गुरुवार शाम व 11 अप्रेल शुक्रवार को प्रातः होने वाली जल सप्लाई चेचट, मोड़क स्टेशन, मोडक गांव व परियोजना से जुड़े गांवों सहित ग्रामीण क्षेत्र में जलापूर्ति बाधित रहेगी।

पेंशनर समाज ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

छबड़ा (निसं)। पेंशनर समाज के प्रदेश व जिला नेतृत्व के निर्देशानुसार उपशाखा अध्यक्ष हरिशचंद्र पाठक के नेतृत्व में पेंशनर समाज के सदस्यों ने जुलूस के रूप में एसडीएम ऑफिस पहुंच एसडीएम रामसिंह गुर्जर को ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष पाठक के अनुसार ज्ञापन में भारत सरकार की पेंशनर विरोधी कार्यप्रणाली व 8वें वेतन आयोग के परिलाभों से वंचित करने सम्बंधी, जो विधेयक लोकसभा से पारित करवाया है। उसे वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री से मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा हैं। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ये विधेयक केंद्र सरकार द्वारा समय रहते वापस नही लिया, तो प्रदेश का पेंशनर समाज शांत नही बैठेगा और आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होगा। इस अवसर पर कार्यकारणी के समस्त पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

240 टन बजरी व ट्रैक्टर-ट्रोली जब्त

छबड़ा (निसं)। थाना पुलिस, राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी के दो स्टॉक से 240 टन बजरी व एक ट्रेक्टर-ट्रोली को जब्त किया। सीआई राजेश खटाना ने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को पुलिस, राजस्व एवं खनन विभाग द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए अवैध बजरी के 2 स्टॉक पर 240 टन बजरी को जप्त कर बारां खनन विभाग द्वारा नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई तथा बुधवार को खोपर गांव के निकट मिट्टी से भरी हुई ट्रैक्टर-ट्रोली चालक सोनू प्रजापत पुत्र परसराम निवासी संजय कॉलोनी से जप्त कर खनन विभाग को अग्रिम कार्रवाई के लिए सूचना दे दी है।

प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन की बैठक आज

छबड़ा (निसं)। प्रोपर्टी डीलर एसोसिएशन अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए गुरूवार शाम छह बजे पॉवर हाउस मंदिर पर एक बैठक आयोजित की जा रही हैं। जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ भाजपा नेता हिम्मतसिंह सिंघवी द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष भंवरलाल कुशवाह ने प्रोपर्टी डीलर सदस्यो से आग्रह करते हुए कहा कि बैठक में अवश्य भाग लेवे। यहां सर्व सहमति से अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। इस अवसर पर स्नेहभोज भी रखा गया है। एसोसिएशन की गरिमा बनाए रखते हुए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेवे।

पुण्यस्मृति में वाटर कूलर भेंट किया

छबड़ा (निसं)। कस्बे में भीशण गर्मी को देखते हुए प्रमोद कुमार शर्मा द्वारा अपने माता-पिता सत्यनारायण-कांति बाई शर्मा की स्मृति में आमजन व राहगीरों को शीतल पेयजल मुहैया करवाने के उद्देष्य से धरनावदा चौराहे के निकट ब्राह्मण धर्मशाला के बाहर वॉटर कूलर लगाया हैं। यहां शर्मा ने कहा कि जलसेवा से बढ़कर कोई सेवा नही हैं। यहां ब्राह्मण समाज अध्यक्ष रामस्वरूप भारद्वाज, इशू, पूर्वांश, विनय, गोलू, भूपेश, मोहित आदि उपस्थित रहे।

सेन जयंती 25 को

छबड़ा (निसं)। सेन समाज द्वारा 25 अप्रैल को सेन जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। इसके लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वही, जोर-षोर से प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैं। अध्यक्ष रामस्वरूप सेन ने बताया कि 25 अप्रैल को सुबह नौ बजे गायत्री मंदिर से शोभायात्रा शुरू होगी, जो मुख्य मार्ग से होती हुई चौधरी मोहल्ले में स्थित श्यामा महाराज मंदिर पर पहुंचेगी। यहां महाआरती कर शंकरझरी मंदिर पर प्रसादी वितरण की जाएगी।

पुलिस दिवस समारोह 16 अप्रैल को

कोटा, (निसं)। पुलिस दिवस समारोह के अवसर पर 16 अप्रैल, बुधवार को पुलिस लाईन में प्रातः 7 बजे एवं सायंकाल को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शहर डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि इस अवसर पर सेरेमोनियल परेड आयोजित कर उल्लेखनीय सेवाएं देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को उत्तम सेवा चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे।

वेतन भुगतान को लेकर ठेका श्रमिकों ने दो घंटे कार्य बहिष्कार किया

कोटा, (निसं)। महाराव भीमसिंह चिकित्सालय में कार्यरत ठेका श्रमिकों ने वेतन भुगतान करने सहित अन्य मांगो को लेकर बुधवार को दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया और नारेबाजी करते हुए अस्पताल अधीक्षक के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की।

ठेका श्रमिकों ने समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर दो घंटे काम बंद कर दिया जिसके चलते अस्पताल की व्यवस्थाओं पर भी असर पड़ा। एमबीएस अस्पताल में पर्ची, दवा, जांच एवं लैब सहित अन्य जगहों पर मरीज व उनके साथ आये तीमारदार परेशान होते रहे। वही प्रदर्शन कर रहे ठेका श्रमिको को अस्पताल अधीक्षक ने ठेकेदार से बात करके सभी श्रमिकों का जल्द वेतन डलवाने का आश्वासन दिया।

एमबीएस संविदा श्रमिक अपनी समस्याओं से अस्पताल अधीक्षक को अवगत कराया।

ठेका श्रमिक संघ के दिलिप सिंगोर ने कहा कि राज्य सरकार ने वेतन में बढ़ोतरी की थी उन्हे जनवरी 2023 से दिसंबर 2024 के बीच एरियर मिलता था। ठेकेदार ने एरिया में से पीएफ व ईएसआई के 12.75 प्रतिश्त काट लिये लेकिन 12 महीने से एरिया में पीएफ व ईएसआई जमा नही करवाया।

उन्होंने कहा कि वेतन भुगतान नही होने पर श्रमिकों को काफी परेशा"ियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी मांगो को लेकर आज सांकेतिक रूप से दो घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया। अगर वेतन भुगतान जल्द नही हुआ तो आगे भी कार्य बहिष्कार किया जायेगा।

कोटा डोरिया को मिला ओ.डी.ओ.पी. का दर्जा

कोटा, (निसं)। प्रदेश सरकार द्वारा पंच गौरव कार्यक्रम के तहत एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से पारंपरिक शिल्प, स्थानीय उत्पादों और लघु उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद नीति 2025 लागू की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत 8 दिसम्बर 2024 को यह नीति जारी की गई थी, जो कि 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कोटा के महाप्रबंधक हरिमोहन शर्मा ने बताया कि कोटा जिले के लिए परंपरागत और विशिष्ट 'कोटा डोरिया' को एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में चयनित किया गया है।

महाप्रबंधक शर्मा ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभ केवल उन्हीं इकाईयों को प्राप्त होगा जो एसएसओ पोर्टल पर ओडीओपी एप्लीकेशन के माध्यम से स्वयं को पंजीकृत कराएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजीकरण की प्रक्रिया सरल है, और इच्छुक इकाईयाँ संबंधित सूचनाएँ भरकर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत कर सकती हैं।

पंजीकृत ओडीओपी इकाईयों को राज्य सरकार की ओर से कई प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। शर्मा ने बताया कि नवीन ओडीओपी उद्यमों को ऋण लेने की स्थिति में 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपये तक का मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। इसके साथ ही नवीनतम तकनीक या सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। गुणवत्ता प्रमाणन के लिए कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक की एक बारीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य में आयोजित राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल किराये का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक का पुनर्भरण उपलब्ध होगा।

महाप्रबंधक हरिमोहन शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदृष्टि और प्रदेश सरकार की दृढ़ नीति के कारण यह योजना न केवल परंपरागत कारीगरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी, बल्कि स्थानीय उत्पादन को भी प्रोत्साहन देगी। यह नीति प्रदेश में 'वोकल फॉर लोकल' अभियान को नई दिशा देगी।

ईद मिलन समारोह मनाया

कोटा, (निसं)। कोटा बार एसोसिऐशन की तरफ से अदालत परिसर में ईद मिलन समारोह का भव्य प्रोग्राम रखा गया जिसकी अध्यक्षता कोटा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पुरी द्वारा की गई तथा मुख्य अतिथि कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम-2 नरेंद्र सिंह रहे। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश क्रम-5 व अन्य न्यायिक अधिकारी व कोटा बार एसोसिएशन के सदस्य गण मौजूद रहे।

अखलेश मेड़तवाल कार्यवाहक पालिकाध्यक्ष बने

रामगंजमंडी, (निसं)। स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा रामगंजमंडी नगरपालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी व उपाध्यक्ष रमेश मीणा के निलंबन के बाद कार्यवाहक पालिकाध्यक्ष पद पर भाजपा पार्षद अखलेश मेड़तवाल को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत किया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा देवीलाल सैनी को अध्यक्ष एवं सदस्य नगर पालिका रामगंजमण्डी कोटा के पद से निलंबित किया गया था। नवनियुक्त पालिकाध्यक्ष अखलेश मेड़तवाल ने शाम को नगरपालिका पहुंचकर पालिकाध्यक्ष पद का कार्यभार भी ग्रहण कर लिया।

अखलेश मेड़तवाल पहली बार पार्षद बने थे, इससे पूर्व पालिका बोर्ड में इनकी पत्नी सीमा मेड़तवाल पार्षद रही है। अखलेश मेड़तवाल वर्षो तक युवा मोर्चा भाजपा के नगर अध्यक्ष पद पर रहे है व कोटा स्टोन स्माल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में वर्तमान में वह सचिव पद पर कार्यरत है।

गिग वर्कर्स के लिए अभियान 17 तक

कोटा, (निसं)। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से राज्य के श्रम विभाग के सहयोग से 17 अप्रैल तक प्लेटफार्म श्रमिकों के लिए एक विशेष पंजीकरण अभियान चलाया जाएगा।

संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि सभी प्लेटफार्म श्रमिक जो जोमेटो, स्वीगी, ओला, उबर, रैपेडो, अमेजन, फिलिपकार्ट, ब्लिंकिट, ई-कार्ट, अर्बन कंपनी आदि में कार्यरत हैं, उन्हें ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने के लिए आव्हान किया जा रहा है।

'बैल जोड़ी पर किसानों को 30 हजार का अनुदान मिलेगा'

कोटा, (निसं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच और किसानों के जीवन को सरल बनाने के संकल्प के तहत राजस्थान सरकार ने पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत राज्य सरकार अब उन किसानों को 30 हजार रुपये प्रति बैल जोड़ी अनुदान देगी, जो बैलों से खेतों की जुताई कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य लघु एवं सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, खेती को आसान बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।

यह योजना विशेष रूप से उन किसानों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है जो आज भी परंपरागत तरीकों से खेती करते हैं और आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने में सक्षम नहीं हैं। कृषि विभाग द्वारा इस योजना के दिशा-निर्देश हाल ही में जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही इसकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

राज्य सरकार की इस योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कम से कम दो बैल हों और जो उनका उपयोग खेती कार्य में कर रहे हों। इस योजना के तहत केवल लघु एवं सीमांत किसानों को शामिल किया गया है, जिसके लिए तहसीलदार से प्रमाणित लघु या सीमांत कृषक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 'डिजिटल और पारदर्शी शासन' की सोच को ध्यान में रखते हुए आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाईन रखी गई है। किसान स्वयं या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से 'राज किसान साथी पोर्टल' पर जनआधार नंबर से लॉगिन कर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के साथ किसानों को बैल जोड़ी के साथ स्वयं की फोटो, पशु बीमा पॉलिसी, बैलों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, शपथ पत्र तथा लघु या सीमांत किसान प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

सरकार ने तय किया है कि सभी वैध आवेदनों की जांच 30 दिनों में पूर्ण कर दी जाएगी और स्वीकृति की सूचना किसानों को एसएमएस और पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। किसान स्वीकृति आदेश या प्रमाण पत्र को ऑनलाइन पोर्टल से डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह योजना ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक होगी। यह पहल ना केवल किसानों की मेहनत को मान्यता देती है, बल्कि प्रदेश सरकार के उस संकल्प को भी दर्शाती है जिसमें वह खेती और किसानों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। पारंपरिक खेती को नया जीवन देने वाली यह योजना ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगी।

पश्चिम मध्य रेल

कोटा मंडल-खुली निविदा सूचना

दिनांक 08.04.2025

भारत के राष्ट्रपति के लिए अथवा उनकी ओर से वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) प.म.रे. कोटा निम्न कार्य के लिए खुली मोहरबंद ई - निविदा आमंत्रित करता है। **निविदा संख्या एवं कार्य का नाम-** निविदा संख्या- ईएल/ टीआरडी /50/03 (2025-26)-ओएचई वर्क्स इन कनेक्शन वीथ द एक्सटेंशन ऑफ एआरटी, शेड, कस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग एण्ड ऑग्मेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एआरटी/ एआरएमवी इन कोटा डिविजन। **कार्य की अनुमानित लागत-रूपये** 3,68,292.00/-, **निविदा बंद होने की दिनांक एवं समय**-दिनांक 01/05/2025 को 15.30 बजे। **वेबसाइट का विवरण तथा नोटिस बोर्ड का स्थान जहां से निविदा का सम्पूर्ण विवरण देखा जा सके**-http://www.ireps.gov.in वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा प्रथम तल मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय प.म.रे., कोटा। ऑफर केवल ई-टेंडरिंग के माध्यम से http://www.ireps.gov.in पर स्वीकार किये जायेगें। निविदा दाता के पास क्लास-III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आईआरईपीएस पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कंडीशन व शर्तें अवश्य पढ़ लें।

वरि.मं.वि.इंजी (क.वि.) कोटा

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

कार्यालय नगर परिषद बून्दी

क्रमांकः-102 दिनांकः-4/4/25

-: सार्वजनिक विज्ञिप्त ::-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिनांक 17.12.1968 रणजीत टॉकिज छवि गृह के लिये खसरा संख्या 257 मिन रकबा 154000 वर्गफुट का पट्टा 99 वर्षीय लीज पर श्री गोपाल सिंह जी, श्रीमती रानी नाथावत, श्री रघुराज सिंह, श्री विजेन्द्र पाल सिंह, श्रीमती यशवन्त कुमारी एवं श्री रणंजय सिंह राजपूत निवासी बदनौर जिला भीलवाड़ा के नाम जारी किया गया था।

उक्त पट्टा 154000 वर्गफुट भूमि में से नैनवा रोड़ एवं बून्दी क्लब (डिस्ट्रीक क्लब) की भूमि को कम करके 119525 वर्गफिट का अनुपूरक पट्टा श्रीमान जिला कलक्टर बून्दी द्वारा दिनांक 01.8.1998 को जारी किया गया था, जो दिनांक 28.08.1998 को पंजीयन हो चुका है। अनुपूरक पट्टा धारक श्री गोपाल सिंह जी, श्रीमती रानी राजकुवंर नाथावत, श्री रघुराज सिंह एवं श्रीमती यशवन्त कुमारी की मृत्यु हो चुकी है जिनके मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न पत्रावली है।

श्री गोपाल सिंह जी एवं श्रीमती रानी राजकुवंर नाथावत के द्वारा निष्पादित वसीयत पारिवारिक व्यवस्था एवं श्री रघुराज सिंह, श्रीमती यशंवन्त कुमारी की मृत्यु उपरान्त पारिवारिक सजरा तथा अनुपूरक पट्टे के आधार पर प्रार्थी श्री विजेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री गोपाल सिंह, श्रीमती अल्का सिंह, पत्नी श्री विजेन्द्र पाल सिंह श्री रणंजय सिंह एवं श्री संजय सिंह पुत्र स्व0 श्री रघुराज सिंह जाति राजपूत निवासी जलमहल बदनौर जिला भीलवाडा द्वारा परिषद के रिकॉर्ड में सामुहिक नाम परिवर्तन हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त नाम परिवर्तन पर कोई आपत्ति हो तो सार्वजनिक सूचना जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित रूप से नगर परिषद में प्रस्तुत कर देवें। अन्यथा बाद मियाद गुजरने के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार नही की जावेगी तथा नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सूचित हो।

आँयुक्त, नगर परिषद, बून्दी

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांकः-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/463 दिनांकः 9.4.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह निवासी-प्लाट नं. 2 सेक्टर ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-प्लाट नं. 2 सेक्टर ए तलवण्डी कोटा (राज.) क्षेत्रफल-3440 वर्गफुट का लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के पत्रांक : एफ/विक्रय/304 दिनांक 28.09.1996 से अध्यक्ष मोर्डन स्कूल सोसायटी मोर्डन स्कूल सेक्टर ए तलवण्डी कोटा को नीलाम किया गया है। मोर्डन स्कूल सोसायटी द्वारा दिनांक 16.03.2015 से मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह को नियुक्त किया है। मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांकः-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/462 दिनांकः 9.4.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह निवासी-प्लाट नं.1 सेक्टर ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-प्लाट नं. 1 सेक्टर ए तलवण्डी कोटा (राज.) क्षेत्रफल-3716.50 वर्गफुट का लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के पत्रांक : एफ/विक्रय/303 दिनांक 28.09.1996 से अध्यक्ष मोर्डन स्कूल सोसायटी मोर्डन स्कूल सेक्टर ए तलवण्डी कोटा को नीलाम किया गया है। मोर्डन स्कूल सोसायटी द्वारा दिनांक 16.03.2015 से मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह को नियुक्त किया है। मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा-दक्षिण, कोटा, राजस्थान

क्रमांकः-ननिको/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/461 दिनांकः 9.4.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह निवासी-प्लाट नं.1 सेक्टर ए तलवण्डी कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण में आवेदन प्रस्तुत कर भूखंड संख्या-प्लाट नं. NIL सेक्टर ए तलवण्डी कोटा (राज.) क्षेत्रफल-77645.77 वर्गफुट का लीज डीड कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा के कब्जा पत्रांक : 757 दिनांक 26.10.1987 से प्रिन्सीपल मोर्डन स्कूल गढ पेलेस कोटा को किया गया है। मोर्डन स्कूल सोसायटी द्वारा दिनांक 16.03.2015 से मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह को नियुक्त किया है। मोर्डन स्कूल सोसायटी सचिव श्री वैभव सिंह पुत्र श्री डॉ. दीपक सिंह के पक्ष में रजिस्ट्री की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तान्तरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करे। मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण

कार्यालय नगर निगम, कोटा उत्तर (राज0)

क्रमांकः-ननिको(उ.)/जनस्वा0/2025/27-37 दिनांक :- 07.04.2025

-: ई-निविदा सूचना :-

नगर निगम कोटा उत्तर क्षेत्र में स्टेशन, गुलाबबाडी, बोरखेडा, देवली अरब, पुलिस लाईन एवं स्टेशन क्षेत्र की बडी सीवरेज लाईन एवं मेन होलों की आवश्यकतानुसार सफाई कार्य वार्षिक अनुबंध ARC कार्य करने वाले पंजीकृत संवेदको से ई-निविदा पद्धति द्वारा ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा का प्रकार कार्य की अनुमानित राशि निविदा बेचे जाने, प्राप्त करने, अन्य शर्ते एवं जानकारी निगम वेबसाईट www.Kotamc.org, http://sppp.rajasthan.gov.in, http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। अनुमानित लागत 4.90 लाख रूपये।

अति० आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

राज.संवाद/सी/25/585

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांकः-248 **नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना** दिनांकः-09.04.2025

नगर विकास न्यास कोटा की योजना विश्वकर्मा नगर ऑटोमोबाइल स्पेशल व्यवसायिक के भूखंड/आवास संख्या 49 मै. जैन मोटर ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा को आवंटन न्यास के पत्र दिनांक 11.12.2000 के द्वारा आवंटन किया गया था। आवंटी मै. जैन मोटर ट्रेडिंग कम्पनी प्रो. श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय शर्मा द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री पुष्पेन्द्र कुमार नागर पुत्र श्री राम